अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर
जितेन्द्र सिंघल बनाम सहा0 आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर
किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 79 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे
06.12.2023	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट जितेन्द्र सिंघल पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश सिंघल, ओम साडी संसार, लोहा बाजार, भरतपुर (राज0) की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील लोक सूचना अधिकारी सहा0 आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपील के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी, सहा0 आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को आर.टी.आई. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। चूंकि आर.टी.आई. के तहत सहा0 आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर का नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस कर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर/प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग राज0 जयपुर के यहाँ प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	902 15/12/23 मूल अपील वापस की।